

21/2023

तारी
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारी
अहकाम जो
हुकम की तारीख
में जारी हुए

स्थगन प्रार्थनापत्र बाबत उन्हें सूचित कर सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलवादी आदेश पारित किया जाना प्रथम दृष्टया न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलवादी आदेश दिनांक 16 नवम्बर 2023 की पालना एवं प्रभाव न्यायहित में आगामी तारीख पेशी दिनांक 05 जनवरी 2024 तक स्थगित रखे जाते हैं। अधिवक्ता-अपीलाण्ट बकाया रेस्पों. के सम्मन रजिस्टर्ड एडी डाक से भिजवाने की कार्यवाही कर पोस्टल रसीदात एवं ट्रेक-रिपोर्ट आगामी तारीख तक प्रस्तुत करें। मिसल आइन्दा अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 05 जनवरी 2024 को पेश हो।

ड.प्र.
2383
20/12/23
नोटिस
2368
20/12/23

19.12.23
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

5.01.24

पञ्जावनी पेश हुई। वसुलाप डी। कृषि: कृषीलांट पोस्टल रसीदें शीघ्र पेश करें। स्थगन व्यथावत। पञ्जावनी दिनांक 05.02.2024 को पेश है।

उपरोक्त लिखित उपरोक्त

कृषिबन्ता कानाराप जोधपुर के अंतर्गत पञ्जावनी आदेश 23 दिनांक 01 सीपीसी पेश किया। तथा कृतरेष्य किया कि कृषील कृषीलांट आगे नहीं चलाना चाहते हैं। कृषि. रेस्पों नगीत सफा के Sub to abatement पेश किया। लेकिन कृषील कृषीलांट को कृषी कृषील विहा बरते का हक है। कृत. कृषील कृषीलांट जरिए विहाल खारिज की जाते हैं। पञ्जावनी केवल सुफार होउर गंवर के रूप में जाउर बाधिल दफ्तर है।

05-01-24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर